

कार्यालय मुख्य अभियन्ता मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद ।

पत्रांक :- 6190 /

-मु0क्षे0/17

दिनांक-27-9-21

अधीक्षणी अभियन्ता
निर्माण खण्ड 1, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद ।

विषय : ग्राम-नसीरपुर के खसरा सं0-132 कुन्दरकी 2 किमी0 कुन्दरकी तिराहा से डींगपुर-सम्मल रोड मुरादाबाद पर इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के (पेट्रोल पम्प) को स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ : अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत, लो0नि0वि0, मुरादाबाद का पत्रांक-4278/105काम-मु0वृत/17 दिनांक 07.09.2017

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भगत पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें। विषयगत प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत, लो0नि0वि0, मुरादाबाद द्वारा की गई संस्तुति एवं शर्तों के तारनम्य में ग्राम-नसीरपुर के खसरा सं0-132 कुन्दरकी 2 किमी0 कुन्दरकी तिराहा से डींगपुर-सम्मल रोड मुरादाबाद पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन, लिमिटेड को निम्न शर्तों के साथ लो0नि0वि0 में सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है :-

- 1 मानचित्र मानक के अनुसार बने है।
- 2 प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।
- 3- आवेदक के विरुद्ध उक्त प्रस्तावित स्थल सम्बन्धी उ0प्र0 रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट-1945 की धारा-13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में आवेदक का उत्तरदायित्व होगा।
- 4 प्रस्तावित निर्माण स्थल पानिका की रूमा के बाहर है।
- 5 प्रस्तावित स्थल मुरादाबाद सम्मल मार्ग (एम0डी0आर0-69) के चैनैज 16.133 से 16.186 के मध्य मार्ग के वायी आर स्थित है।
- 6- प्रस्तावित निर्माण कृषि योग्य भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।
- 7 रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड के लिये 01 किमी0 की दूरी पर सर्विस बेरियर नहीं है।
- 8- बफर स्ट्रिप 31.00 मी0 लम्बाई एवं 3.00 मी0 चौड़ाई तथा रिटेल आउटलेट पर वाहनों का प्रवेश एवं निकास क्रम की चौड़ाई 12.00 मी0 है।
- 9 प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण आर0सी0 कोड सं0-12-2009 के अनुसार किया जाये।
- 10 आवेदक को प्रस्तावित निर्माण कार्य की मध्य रेखा से बफर स्ट्रिप 18.28 मी0, पम्प 34.40 एवं भवन निर्माण 12.05 मी0 की दूरी पर पर नक्शे में प्रदर्शित है।
- क आवेदक को रिटेल आउटलेट पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्च से मान चित्रानुसार ओपन ड्रेन(नाली) एवं दोनो ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग निर्माण लो0नि0वि0, की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा। 15 वर्षों के लिये लीजडीड एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र(Annexure-3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है एग्रीमेन्ट की फीस सूक्ष्म अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त जमा करायी जायेगी। प्रार्थी का लीजडीड एग्रीमेन्ट संलग्न है।
- ख- आवेदक को यह मुनिश्चित कराना होगा, कि पेट्रोल पम्प लगाने के पूर्व व पश्चात् मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध न होने पाये।
- ग- आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल एवं वर्षाती पानी का बाह्य इस प्रकार कराना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा में रिटेल आउटलेट का पानी मार्ग पर नहीं आना चाहिये एवं नाले को बन्द नहीं किया जायेगा।
- घ- फिलिंग स्टेशन की मतह को मार्ग की लेपित मतह से 0.50 मी0 नोचा रखा जायेगा।
- 11 प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी0 ग्यान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साईट खन्ती में 1.00 मी0 चौड़ाई का ड्रन बनाकर ऊपर स्ट्रॉल पाईप के कैटिल केचर बना दिया जाये ताकि रोड का पानी मुःखा एवं नृविधा पूर्वक रोड साईट ड्रेन में होकर जाये प्राकृतिक नाली/नाले में बह सके। किसी भी दशा में नाली/नाले



- को बन्द नहीं किया जायेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आने पाये।
- 12 प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग का ढाल लो0नि0वि0 मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0 13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।
 - 13 बफर स्ट्रिप के पाम ड्रेजिंग की ऊँचाई 60सेमी0 से ऊपर न रखी जाये।
 - 14 प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण लो0नि0वि0 मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शों के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य में 70 फिट की दूरी के कम पर कोई भवन निर्माण नहीं होना चाहिये।
 - 15 प्रस्तावित स्थल के ऊपर 300 मी0 दोनों ओर कोई रोड कोसिंग नहीं होना चाहिये।
 - 16 यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
 - 17 प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने के पूर्व प्रार्थी को अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, मुरादाबाद में लाइसेंस डीड एकत्रीक्यूट कराना आवश्यक है।
 - 18 भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाये इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
 - 19 लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ाकरण के समय यदि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को डिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिये किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक आर0डब्ल्यू0/एन0एच0-33023-19/99-डी0ओ0 तृतीय दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.2003 में दी गयी गार्डइलाईनों का अनुपालन करना होगा।
 - 20 उक्त के अतिरिक्त शा0सं0-RW/NH/19-DO-II दिनांक 24.07.2013 के प्रस्तर-5 जिसके अनुसार मार्ग की भूमि का प्रयोग करने के लिये मुबलिक रु0 2,00,000.00 (रु0 दो लाख मात्र) एकमुश्त लाइसेंस के रूप में एवं 5 प्रतिशत प्रोसेसिंग फीस के रूप में मुबलिक रु0 10,000.00 (रु0 दस हजार मात्र) जमा करने हेतु इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन, लिमिटेड के डीलर के नाम से शपथ पत्र ले लिया जाये।

- सलन:-
- 1-मानचित्र दो प्रतियों में।
 - 2-एनक्रजर एच बैंक लिस्ट।
 - 3-भू0स्वामित्व की छायाप्रति, खतौनी।
 - 4-अधी0अभि0, मु0बाद का पत्र सं0-4278/105काम-मु0वृत्/17 दि0 07.09.2017 के पत्र की छाया प्रति।

(एस0पी0 पाण्डेय)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिनिधि :- अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत्त, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को उनके पत्रांक-4278/105काम-मु0वृत्/17 दिनांक 07.09.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

27/9/17
मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।


(हस्ताक्षरकर्ता)
एन.एम. तम्मम
वरिष्ठ डिवाइजल रीटिन सेल्स मैनेजर
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
डिवाइजल ऑफिस मुरादाबाद (ए.पी.)
मु0वृत्त/17 दिनांक 07.09.2017